परिशिष्ट-1

विधानसभा प्रश्न क्रमांक 96 का बिन्दु क्र. (क)

न्यायालय वार प्रकरणों की स्थिति

वर्षवार	न्यायालय अनुविभाग (रा.) संधवा			न्यायालय तहसील संधवा			न्यायालय तहसील वरला		
	दर्ज प्रकरण	निराकृत प्रकरण	शेष प्रकरण	दर्ज प्रकरण	निराकृत प्रकरण	शेष प्रकरण	दर्ज प्रकरण	निराकृत प्रकरण	शेष प्रकरण
2017-18	318	318	0	581	535	59	443	443	0
2018-19	481	481	0	1047	1024	131	713	713	0
2019-20	475	475	0	2292	2137	238	1131	1131	0
2020-21	478	374	104	1731	1631	264	1179	1178	1
2021-22	128	72	56	401	322	343	406	264	142

विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत तहसील न्यायालय संधवा में कुल दर्ज प्रकरण संख्या 6052 में से वर्तमान तक कुल 5709 प्रकरणों का निराकरण किया जाकर निराकरण से शेष प्रकरणों की संख्या 343 है। उक्त बकाया शेष वर्ष के प्रकरणों का निराकरण आगामी राजस्व वर्ष में किया जाकर निराकृत प्रकरणों मे उनकी संख्या शामिल है, वर्तमान मे शेष प्रकरणों की संख्या 343 ही है।

अधीक्षक भू-अभिलेख
जिला बड़वानी

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
राजस्व विभाग (शाखा -

47. कमीशन के व्यय.— राजस्व न्यायालय यह आदेश दे सकेगा कि ऐसी राशियां, जैसी कि वह कमीशन के व्ययों के लिये युक्तियुक्त समझे, ऐसे समय के भीतर जो उसके द्वारा नियत किया जाए, उस पक्षकार द्वारा भुगतान की जाय जिसके कहे जाने पर या जिसके कि फायदे के लिये कमीशन जारी किया गया है।

48. कमिश्नर के समक्ष साक्षियों की उपस्थिति और परीक्षा.— (1) साक्षियों को समन करने, साक्षियों की उपस्थिति और साक्षियों के परीक्षा संबंधी और साक्षियों के पारिश्रमिक तथा उन पर अधिरोपित की जाने वाली शास्तियों सम्बन्धी संहिता तथा इन नियमों के भाग तीन के उपबन्ध उन व्यक्तियों को लागू होंगे जिनसे साक्ष्य देने की या दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपेक्षा इस भाग के अधीन की गई है और कमिश्नर के बारे में इस नियम के प्रयोजनों के लिये यह समझा जायेगा कि वह राजस्व न्यायालय है:

परंतु जब कमिश्नर एक राजस्व न्यायालय नहीं है वहां वह शास्तियां अधिरोपित के लिए सक्षम नहीं होगा; किंतु ऐसे कमिश्नर के आवेदन पर ऐसी शास्तियां, उस राजस्व न्यायालय के द्वारा, जिसके द्वारा कमीशन जारी किया गया था, अधिरोपित की जा सकेंगी।

(2) कमिश्नर कोई ऐसी आदेशिका जारी करने के लिये, जिसे वह साक्षी के नाम या विरुद्ध जारी करना आवश्यक पाये, कलेक्टर से निम्न स्तर के ऐसे किसी राजस्व न्यायालय से, जिसकी कि अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर साक्षी निवास करता है, आवेदन कर सकेगा और ऐसा राजस्व न्यायालय, स्वविवेकानुसार, ऐसी आदेशिका जारी कर सकेगा जैसी कि वह युक्तियुक्त तथा उचित समझे ।

49. कमिश्नर के समक्ष पक्षकारों की उपसंजाति.— (1) जहां इन नियमों के अधीन कमीशन निकाला गया है, राजस्व न्यायालय निदेश देगा कि कार्यवाही के पक्षकारगण कमिश्नर के समक्ष स्वयं या उनके मान्यताप्राप्त अभिकर्ताओं या विधि व्यवसायियों के माध्यम से उपसंजात हों।

(2) जहां सभी पक्षकार या उनमें से कोई इस प्रकार उपसंजात न हो, वहां कमिश्नर उनकी अनुपस्थिति में कार्यवाही कर सकेगा।

भाग पांच
आदेश

50. सुनवाई का अवसर.— राजस्व न्यायालय द्वारा किसी भी व्यक्ति को अहितकारी कोई अंतिम आदेश उसे सुने जाने का अवसर दिए बिना और यदि वह वैसी इच्छा करे, उसे सुने बिना पारित नहीं किया जाएगा तथा जहाँ दो पक्षकारों में परस्पर विरोधी अधिकारों एवं हितों का संबंध हो, उन दोनों को ऐसा अवसर दिया जाएगा।

51. अंतिम आदेश पारित करना.— (1) राजस्व न्यायालय द्वारा मामले में अंतिम आदेश स्वयं अभिलिखित किया जाएगा।

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

(2) राजस्व न्यायालय द्वारा राजस्व मामले में आदेश पारित करने के बारे में निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा :–

(क) तर्कों को सुनने के पश्चात् आदेश पारित किए जाने के लिए एक निश्चित दिनांक, नियत की जाएगी तथा आदेशिका पत्र पर पक्षकारों या अभिभाषक के हस्ताक्षर, नियत किए गए दिनांक की उन्हें सूचना मिल चुकने की पुष्टि में, लिए जाएंगे; और

(ख) इस प्रकार नियत किए गए दिनांक पर आदेश प्रदान किया जाएगा। यदि पक्षकार या अभिभाषक उपस्थित हैं तो उनकी उपस्थिति अभिलिखित की जाएगी। यदि वे अनुपस्थित हैं तो आदेशपत्र में आदेश के दिनांक की उन्हें सूचना दी गई होने पर भी उनकी अनुपस्थिति का संकेत होना चाहिए। ऐसे प्रकरण में पक्षकारों को आदेश की कोई अतिरिक्त संसूचना आवश्यक नहीं होगी। अपील या पुनरीक्षण के मामले में, एक प्रति सामान्य रूप से मूल न्यायालय को सूचना हेतु भेजी जाएगी।

(3) नियत दिनांक को आदेश पारित किया जाएगा। यदि, तथापि किसी कारण से ऐसा संभव नहीं हो तो अगली दिनांक नियत की जाएगी जो पंद्रह दिवस के पश्चात् की नहीं होगी। प्रकरण के पक्षकार इसे टीप कर सकेंगे और इस प्रकार नियत आगामी दिनांक को उपस्थित होंगे।

52. मूल आदेश की अंतर्वस्तु.– (1) राजस्व न्यायालय द्वारा पारित प्रत्येक मूल आदेश में होगा,–

(क) प्रकरण का संक्षिप्त विवरण;

(ख) अवधारण के लिये बिन्दु;

(ग) प्रत्येक अवधारणीय बिन्दु पर निष्कर्ष और उसके आधार; और

(घ) मामले का विनिश्चय।

(2) उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, राजस्व न्यायालय निम्नलिखित परिस्थितियों में संक्षिप्त आदेश पारित कर सकेगा:–

(क) परिसीमा या अधिकारिता के अभाव के आधारों पर आवेदन का निरस्त किया जाना;

(ख) अनुपस्थिति के कारण मामला खारिज किया जाना;

(ग) अविवादित मामले में विनिश्चय;

(घ) किसी मामले में किसी अंतर्वर्ती आवेदन पर विनिश्चय; या

(ड़) किसी मामले में कोई अंतरिम आदेश पारित किया जाना।

भाग छह

कुर्की

53. बकायादार के कब्जे में की ऐसी जंगम सम्पत्ति की कुर्की जो कृषि उपज से भिन्न है.– (1) जहां बकायादार के कब्जे में की कुर्क की जाने वाली सम्पत्ति कृषि उपज से भिन्न जंगम सम्पत्ति है, वहाँ कुर्की वास्तविक अभिग्रहण के द्वारा की जायेगी और कुर्की करने वाला अधिकारी उस सम्पत्ति को स्वयं अपनी अभिरक्षा में या अपने अधीनस्थों में से किसी की अभिरक्षा में रखेगा और उसकी सम्यक् अभिरक्षा के लिये उत्तरदायी होगा।